न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 09/2022 **दायर दिनांकः 07/11/2022**

उनवान

1. रामगोपाल उम्र 65 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच महोदय ग्राम पंचायत कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज0) ।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 1047 दिनांक 12/06/2020
ग्राम पंचायत कुन्जैड तहसील अटरू

उपस्थिति :—
अपीलार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
रेस्पोडेन्टस :—विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार

आदेश

दिनाकः 27/03/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की पेश किया है कि ग्राम एवं माल कुन्जैड़ तहसील अटरू की सम्वत् 2074 से 2077 मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या पुराना 359 नया 295 का ख.नं. 1117 का रकबा 0.66 हे0, ख.नं. 562 का रकबा 0.97 हे0, ख.नं. 564 का रकबा 1.16 हे0, ख.नं. 565 का रकबा 0.80 हे0, ख.नं. 972 का रकबा 1.74 हे० कुल किता 5 का रकबा 5.33 हे0 आराजी तथा खाता संख्या पुराना 359 नया 157 का ख.नं. 1123 का रकबा 0.05 हे0 गै.मु.चाह, ख.नं. 563 का रकबा 0.98 हे0 कुल किता 2 का रकबा 1.03 हे० आराजी अपीलार्थी व अन्य सहखातेदारान के खाते दर्ज थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 अपील के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। अपीलार्थी वर्तमान में जिवित है तथा अपीलार्थी के नाम के अन्य व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसलिए गलती से अपीलार्थी के जिवित होने के उपरान्त भी अपीलार्थी की उक्त जमीन का फौती इन्तकाल नं. 1047 दिनांक 12.06.2020 खोल दिया गया है जिसको अपीलार्थी निरस्त करवाना

चाहता है। इसलिए इन्तकाल नं. 1047 दिनांक 12.06.2020 ग्राम पंचायत कुन्जैड़ को निरस्त किया जावे। इसलिए यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 भूमिधारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अपील सुनवाई का क्षैत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अपील पेश करने का कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.07.2022 को पटवार हल्का से नकले लेने जाने पर नकल में अपने नाम के स्थान पर फौती इन्तकाल खुलने की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपील की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में अपीलार्थी के जिवित होते हुये भी उसे मृतक मानकर उसके स्थान पर खोले गये फौती इन्तकाल नं0 1047 दिनांक 12.06.2020 ग्राम पंचायत कुन्जैड को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा जवाब अपील पेश कर कथन किया गया कि बिंदु संख्या 1 क्रम में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट वाद पत्र में वर्णित आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074–77 के ग्राम कुंजेड के खाता संख्या 296 के खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.66 हे0, खसरा नम्बर 562 का रकबा 0.97 हे0, 564 का रकबा 1.16 हे0, 565 का रकबा 0.80 हे0 एवं 972 का रकबा 1.74 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.33 हे0 में वादी रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर के नाम 1/6 हिस्सा व खाता संख्या 387 की आराजी खसरा नम्बर 1123 रकबा 0.05 हे0, 563 रकबा 0.98 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.03 हे० भूमि में वादी रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर के नाम 1/6 हिस्सा शामलाती खाते में दर्ज है। बिंदु संख्या 2 के क्रम में पटवारी हल्का रिपोर्ट वर्तमान में वादी रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी कुंजेड़ वर्तमान में जीवित है। वादी रामगोपाल के नाम के अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण मद न. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से नामांतरण संख्या 1047 स्वीकत हो गया है। अतः उक्त नामान्तरण संख्या 1047 को नियमानुसार निरस्त किया जाना उचित है। बिंदु संख्या 3 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु

संख्या 4 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु संख्या 5 माननीय न्यायालय से संबंधित है।. बिंदु संख्या 6 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु संख्या 7 माननीय न्यायालय से संबंधित है।

3. प्रतिवादी क्रम 2 पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब दावे में स्वीकार किया है कि वादी रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति गूजर निवासी कुन्जैड वर्तमान में जीवित है। वादी रामगोपाल गूजर के नाम के ही एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने से वादी के खाते की आराजी में सहवन से नामांतरण संख्या 1047 स्वीकृत हो गया था, जिसे निरस्त फरमाया जाना उचित है। प्रतिवादी क्रम 2 पेरोकार सरकार द्वारा वादी के अनुतोष को स्वीकार किये जाने से अर्थात वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद का विषय नहीं होने से न्यायालय द्वारा तनकीयात निर्धारित नहीं की गई है।

4. अभिभाषक अपीलान्टस् की बहस सुनी। पेरोकार सराकर ने वादी की वहस पर सहमति व्यक्त की। अभिभाषक अपीलान्टस ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि ग्राम कुन्जेड में ही वादी रामगोपाल पुत्र हीरालाल गूजर के नाम का ही एक अन्य व्यकित गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र हीरालाल गूजर था। गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र हीरालाल गूजर की दिनांक 17/03/2018 को मृत्यु हो गई थी। अतः ग्राम पंचायत कुन्जैड के ग्राम रामपुरिया स्थित मृतक गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति गूजर के खाते की आराजी खसरा न. 22 रकबा 2.52 है0 में उनका फोती इंतकाल तस्दीक किया जाना था, लेकिन पटवारी पटवार हल्का कुन्जैड व सरपंच ग्राम पंचायत कुन्जैड द्वारा मानवीय भूलवश मृतक गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति गूजर की जगह वादी रामगोपाल पुत्र हीरालाल गूजर का फोती इंतकाल संख्या 1047 तस्दीक कर दिया गया जबकि वादी अभी जीवित है। अतः ग्राम कुन्जैड के नामांतरण संख्या 1047 दिनांक 12/06/2020 को निरस्त फरमाया जावे।

5. अभिभाषक अपीलांट की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कुन्जैड के **नामांतरण संख्या 1047 दिनांक 12/06/2020** के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कुन्जैड की आराजी खाता संख्या 157 किता 2 रकबा 1.03 है0 व खाता संख्या 295 किता 5 रकबा 5.33 है0 खातेदार रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी कुंजेड हिस्सा 1/6 के खाते दर्ज रिकार्ड थी जबकि ग्राम रामपुरिया की आराजी खाता संख्या 29 ख0नं0 22 रकबा 2.52 है0 गोपाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी कुंजेड हिस्सा 31/252 के खाते दर्ज रिकार्ड थी। नामान्तरण संख्या 1047 के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 06.04.2018 के अवलोकन से जाहिर होता है

कि ग्राम कुंजेड निवासी उस रामगोपाल पुत्र हीरालाल की मृत्यु दिनांक 17.08.2018 को हुई थी **जिसकी माता का नाम नारायणबाई था।** संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारीस प्रमाण पत्र दिनांक 28.05.2020 के अनुसार रामगोपाल पुत्र हीरालाल गुर्जर निवासी कुंजेड के वारीसानों में सुंदरबाई पत्नी, मूरलीधर पुत्र व अन्य के नाम है। इसी प्रकार ग्राम कुंजेड के **नामान्तरण संख्या 953 दिनांक 07.07.2018** के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने इसी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.08.2018 के आधार पर ग्राम कुंजेड की आराजी ख0नं0 422 रकबा 3.31 है0 के खातेदार गोपाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर का फौती इंतकाल उक्त इसी ग्राम पंचायत के वारीसान प्रमाण पत्र दिनांक 07.05.2018 के आधार पर सुंदरबाई पत्नी, मुरलीधर पुत्र व अन्य के नाम तस्दीक किया गया था। उपरोक्त दोनों नामान्तरणों के अवलोकन से यह साबित है कि पटवारी हल्का कुंजेड की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा दो बार मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.08.2018 की उचित जांच पडताल किये बिना ही रामगोपाल पुत्र हीरालाल गुर्जर को मृत मानकर फौती इंतकाल तस्दीक किये गये। दोनों इंतकाल ग्रम पंचायत के दो अलग–अलग कार्यकालों में अलग अलग सरपंचों की अध्यक्षता में कोरम द्वारा स्वीकृत किये गये। जिस सरपंच ने वारीसान प्रमाण पत्र जारी कर दिनांक 28.05.2020 जारी कर फौती इंतकाल संख्या 1047 तस्दीक किया है उसी सरपंच ने अब रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी कुंजेड का जीवित प्रमाण पत्र दिनांक 10.02.2023 जारी किया गया है। रेस्पोडेंट कम 2/तहसीलदार अटरू ने भी अपने जवाब अपील दिनांक 12.12.2022 में स्वयं स्वीकार किया है कि रामगोपाल पुत्र हीरालाल जिसका फौती इंतकाल तस्दीक किया जा चुका है वर्तमान में जीवित है। अतः सहवन से दर्ज इनका फौती नामान्तरण संख्या 1047 खारिज फरमाया जावे। अतः यह साबित है कि तात्कालीन पटवारी पटवार हल्का कुंजेड एवं तात्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा राजकार्य के प्रति गम्भीर लापरवाही दर्शाते हुए एवं बिना जांच पडताल किये जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर 2 वर्ष के अन्तराल में 2 बार फौती इंतकाल तस्दीक किया गया। अभी भी अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई मजबूत दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता है कि रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी कुंजेड जिसकी मां का नाम नारायणबाई है, जीवित है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.08.2018 के आधार पर 2 फौती इंतकाल संख्या 953 एवं 1047 तस्दीक किये गये है जबकि अपीलार्थी द्वारा केवल इंतकाल संख्या केवल इंतकाल संख्या 1047 को ही खारिज कराने के लिए अपील की है।

अतः न्यायालय धारा 209 आर0टी0एक्ट0 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना न्यायहित में उचित समझती है। धारा 209 आ0टी0एक्ट0 के प्रावधान निम्न अनुसार है–

<u>Sec. 209:- Granting any relief to which plaintiff is entitled</u>- in any suit or proceeding, the court may, on the application of the plaintiff and after framing the necessary issues, grant, any relief which the court is competent to grant and to which it may find the plaintiff entitled, notwithstanding that such relief may not have been asked for in the plaint or application.

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::<u>क्रियात्मक आदेश</u> ::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 (D) एल0आर0 एक्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा खोला गया इन्तकाल **संख्या 1047 दिनांक 12.06..2020 खारिज** किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि ग्राम कुंजेड के खाता संख्या 295 ख.नं. 1117 का रकबा 0.66 हे0, ख.नं. 562 का रकबा 0.97 हे0, ख.नं. 564 का रकबा 1.16 हे0, ख.नं. 565 का रकबा 0.80 हे0, ख.नं. 972 का रकबा 1.74 हे० कुल किता 5 का रकबा 5.33 हे0 आराजी तथा खाता संख्या 157 का ख.नं. 1123 का रकबा 0.05 हे0 गै.मु.चाह, ख.नं. 563 का रकबा 0.98 हे0 कुल किता 2 का रकबा 1.03 हे० आराजी में सहखातेदार रामगोपाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर के फोती इंतकाल संख्या 1047 को खारिज मानकर इनका नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसी प्रकार ग्राम कुंजेड की आराजी ख0नं0 422 रकबा 3.31 है0 पर खोले गये इंतकाल संख्या 953 दिनांक 07.05.2018 की जांच पडताल कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 27/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां